[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 95 / 24 (वाद)

GCMS NO: 2024/272

अनवान

1. श्री गणपत लाल पिता बिरमा मीणा जाति मीणा निवासी उमरडा जिला उदयपुर हाल निवासी बडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

.......वादी

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक 13.01.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 90 की आराजी संख्या 1013 रकबा 0.5900 है. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख की जमान्दी संवत् 2078–81 में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम पर अंकित है। उक्त आराजीयात के सेटलमेंट पूर्व के खसरा संख्या 554 / 1 मी. क्षै. 5 बिघा थे, जिसके बाद सेटलमेंट से नये खसरा संख्या 1013 रकबा 0.5900 है. व 3710 / 1013 रकबा 0.4900 है. बने। उक्त खसरा संख्या 3710 / 1013 रकबा 0.4900 है. वादग्रस्त नहीं होकर महावीर जैन विद्यालय संस्थान का कब्जा हैं तथा परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 01 की आराजी संख्या 1014 रकबा 7.7800 है. भूमि के सेटलमेंट पूर्व के खसरा संख्या 554 मी. थे। वर्तमान राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी सम्वत् 2078–2081 में उक्त वादग्रस्त आराजी क्षैत्र. 0.5900 है. [illegible] का कब्जा व वादी से पहले वादी के पूर्वाधिकारियों का निरन्तर और निरा[illegible] कब्जा चला आ रहा है।
2. यह कि खसरा संख्या 3710 / 1013 रकबा 0.4900 है. [illegible] परिशिष्ट ख की वादग्रस्त खसरा संख्या 1014 क्षै. 0.5900 है. पर श्री [illegible] कई वर्षों [illegible] कब्जा था, लच्छीराम के अनुसूचित जाति के होने व लम्बे स[illegible] तक उसका कब्जा। [illegible] उसका निरन्तर उपयोग करने से राज्य सरकार द्वारा लच्छीराम पिता नवला भील को उसकी कब्जेशुद्धा भूमि को उसके नाम आवंटित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उसे खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.05.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार का अधिकार दे दिया एवं नक्शे में भी लच्छीराम को ... उसकी कब्जेशुदा भूमि अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम कर दिया ... देहावसान के पश्चात विरासत से उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान ... एवं मोती बेवा लच्छीराम के नाम दर्ज हुई। तत्तश्चात उक्त सम्पूर्ण भूमि ... पत्नी हीरालाल मीणा के नाम पर दर्ज हुई। इसके बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि ... 05 बिस्वा भूमि कमला पत्नी हीरालाल द्वारा सम्परिवर्तन कराई जिसके ... 554/1/5 बने तथा 554/1 मी. रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा कृषि हेतु बचा ... खसरा संख्या 554/1/5 विक्रय पत्र से श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान ... हिम्मतलाल पिता देवीलाल वया के नाम पर दर्ज हुई जिसके बाद सेटलमेंट ... संख्या 3710/1013 रकबा 0.4900 है. बने जो कि वादग्रस्त नहीं होकर ... महावीर जैन विद्यालय संस्थान संचालक हिम्मतलाल पिता देवीलाल वया का क... उसका उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। उपर वर्णित 554/1 मी. रकबा 2 ... बिस्वा भूमि यानि सम्पूर्ण हिस्सा कमला पत्नी हीरालाल मीणा ने विक्रय पत्र से ... पिता विरमा मीणा को विक्रय कर दिया जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा संख्या ... रकबा 0.5900 है. बने जो कि उक्त वाद में वादग्रस्त हैं। उपरोक्त भूमि पर उक्त ... कब्जा भी विधिक रूप से हस्तांतरित होता रहा तथा उसी भूमि पर वर्तमान में भी मौके ... वादी का ही कब्जा है जिसको वादी अपने अनुसार उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

3. यह कि कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ख में वर्णित खसरा संख्या 1014 रकबा 0.5900 पर वादी का कब्जा है तथा वादी से पूर्व रेकर्ड अनुसार विधिक रूप से उस पूर्वाधिकारियों का कब्जा था जो कि वादी तक निरन्तर है। वक्त लच्छीराम के आवंटन आराजी संख्या 554 मी. बडा रकबा होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती एवं मानवीय त्रुटी से राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में लच्छीराम की आराजी 554/1 मी. कि लगभग आधी भूमि को गलत जगह यानि लच्छीराम के कब्जे से दक्षिण दिशा में तरमीम कर दिया लेकिन लच्छीराम से लगाकर वादी तक उक्त कब्जा उसी अनुरूप निरन्तर निराबाध रूप से चला आ रहा है। वक्त आवंटन लच्छीराम की लगभग आधी भूमि यानि 0.5900 है. भूमि को नक्शे में गलत जगह तरमीम करते हुए उस भूमि का उसे खातेदार बना दिया था जिसका शुद्धिकरण करते हुए राजस्व रिकॉर्ड ... नवीन खसरा संख्या 1014 में से क्षे. 0.5900 है. का वादी को खातेदार घोषित किया ... नक्शा ट्रेस में भी उसी अनुसार तरमीम किया जावें एवं वादी ... खसरा ... रकबा 0.5900 है. को पुनः बिलानाम घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर (प्रतिवादी) द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि गत जमाबंदी 2050–53 के साबिक आराजी सं. 554/1 मी. रकबा

2–15 बीघा भूमि खातेदार गणपतलाल पिता विरमा मीणा सा. उमरडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी सं. 554/1 मी. के मिलान खसरा अनुसार नवीन आराजी सं. 1013 रकबा 0.5900 है. भूमि गणपत लाल पिता विरमा जाति मीणा सा. उमरडा होकर दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थी खातेदार का मौके अनुसार वर्तमान में कब्जा आराजी सं. 1013 रकबा 0.5900 है. में से 0.3500 है. पर एवं बिलानाम आराजी 1014 रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. पर होना बताया गया। नवीन कब्जेशुदा आराजी 1013 व 1014 के मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी क्रमशः 554/1 व 544 मी. होना पाया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी 1013 कुल रकबा 0.5900 है. में से 0.3500 है. भूमि वर्तमान खातेदार के व शेष भूमि 0.2400 है. भूमि बिलानाम सरकार किये जाने व बिलानाम आराजी संख्या 1014 रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार वादी के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना प्रस्तावित किया।

5. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी डब्लु– 1 वादी का पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2050–53 की खाता संख्या नया 266 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 1 की जमाबंदी प्रदर्श–2 व खाता संख्या नया 90 की जमाबंदी प्रदर्श–3 कराई गई।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार खसरा संख्या 1014 रकबा 0.5900 हैं. पर वादी का कब्जा हैं तथा वादी से पूर्व रेकर्ड अनुसार विधिक रूप से उसके पूर्वाधिकारियों का कब्जा था जो कि वादी तक निरन्तर है। वक्त लच्छीराम के आवंटन आराजी संख्या 554 मी. बडा रकबा होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती एवं मानवीय त्रुटी से राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में लच्छीराम की आराजी 554/1 मी. की लगभग आधी भूमि को गलत जगह यानि लच्छीराम के कब्जे से दक्षिण दिशा में तरमीम कर दिया लेकिन लच्छीराम से लगाकर वादी तक उक्त कब्जा उसी अनुरूप निरन्तर निराबाध रूप से चला आ रहा है। वक्त आवंटन लच्छीराम की लगभग आधी भूमि यानि 0.5900 है. भूमि को नक्शे में गलत जगह तरमीम करते हुए उस भूमि का उसे खातेदार बना दिया था जिसका शुद्धिकरण करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खसरा संख्या 1014 में से है. 0.5900 है. का वादी को खातेदार घोषित कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में स्पष्ट किया कि प्रार्थी/वादी खातेदार का कब्जा वर्तमान खातेदारी [illegible] 1013 के [illegible] भाग व बिलानाम आराजी न. के आंशिक भाग पर होना बताया साथ ही बताया [illegible] की [illegible] न. 1013 कुल रकबा 0.5900 है. में से प्रार्थी/वादी खातेदार का कब्जा 0.3500 है. [illegible] शेष भू–भाग पर प्रार्थी/वादी खातेदार का कब्जा ना होकर खाते[illegible] 1014 कुल रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. पर प्रार्थी/वादी का कब्जा होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आ.न. 1013 रकबा 0.5900 है. में से 0.3500 है. भूमि खातेदार के व शेष भूमि 0.2400

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.05.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

है. भूमि बिलानाम सरकार किये जाने व उसी प्रकार बिलानाम आराजी न रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार वादी किया जाना प्रस्तावित किया।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 20 खाता संख्या नया 266 प्रदर्श–1 कराई गई। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है क आराजी न. 554/1मी. रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा भूमि जरिये बिकाव से सम्पूर्ण ख गणपतलाल पिता विरमा मीणा सा. उमरडा के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा मौजा ब खाता संख्या 1 प्रदर्श–2 कराई गई जिससे स्पष्ट है कि आराजी संख्या 1014 र 7800 है. भूमि वर्तमान में बिलानाम राज्य सरकार के नाम अंकित हैं। वादी द्वारा संख्या नया 90 की जमाबंदी प्रदर्श–3 कराई गई। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि आ न. 1013 रकबा 0.5900 है. भूमि वादी के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। वादी द्वारा अपने बय बताया की वर्तमान में आराजी न. 1013, 1014 पर काबिज हैं तथा खरीद के सम उक्त आराजी पर काविज है तथा कब्जा भी उक्त आराजी पर सुपुर्द किया था।

8. अतः उपरोक्त विवेचन, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1014 रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय (वादी) गणपतलाल पुत्र विरमा मीणा के नाम दर्ज किये जाने व उक्त हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा आराजी संख्या 1013 रकबा 0.5900 हैक्टयर भूमि में से 0.2400 है. भूमि (वादी) गणपतलाल पुत्र विरमा मीणा के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 95/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/272

1. श्री गणपत लाल पिता विरमा मीणा जाति मीणा निवासी उमरडा जिला उदयपुर हाल निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........वादी

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 95/24(वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1014 रकबा 7.7800 है. में से 0.2400 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय (वादी) गणपतलाल पुत्र विरमा मीणा के नाम दर्ज किये जाने व उक्त हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा आराजी संख्या 1013 रकबा 0.5900 हैक्टयर भूमि में से 0.2400 है. भूमि (वादी) गणपतलाल पुत्र विरमा मीणा के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested